जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक पर CAM(Crime Agaist Women) डै बोर्ड पर महिला एवं बाल अपराध से सम्बन्धित लम्बित मामलों के सम्बन्ध में जानकारी किया गया तथा सम्बन्धित को त्वरित निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिया गया

आज दिनांक 21.08.2024 को जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक पर *CAW (CRIME AGAIST WOMEN)* डैश बोर्ड पर महिला एवं बाल अपराध से सम्बन्धित धारा 498ए / 363 / 366 / 354 / 326ए / 304बी / 376 भादवि व पाक्सो एक्ट , जे.जे.एक्ट, मानव तस्करी से सम्बन्धित पूर्व के लम्बित मामलों के सम्बन्ध में जानकारी लिया गया साथ ही साथ सम्बन्धित को त्वरित निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 61,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 61,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 21.08.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश ए0सी0जे0/पाक्सो कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2017 धारा 377 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता दिवाकर पुत्र रमपत निवासी पक्षतुरवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर धारा 377 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 3/4 लौगिक अपराधों से बालकों के संरक्षक अधि0 के अन्तर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को उसकी सजा कि अवधि से मुजरा किया जायेगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 02 लाख 40 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 21.08.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश ए0सी0जे0/पाक्सो प्रथम कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 444/2013 धारा 323/324/302/34 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 444/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्तगण नाम पता 1- अजय नन्दन पुत्र स्व0 लालमन 2—झिनकू पुत्र स्व0 पुद्दन निवासीगण पिपरा प्रथम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 के तहत दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण को धारा 323 भा0द0वि0 के आरोप में दोषी पाए जाने पर 01-01 वर्ष कारावास व 05-05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 324 भा0द0वि0 के तहत 02-02 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें अभियुक्त अजयनन्दन उपरोक्त को 03 वर्ष कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।